

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के रापत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग - 2

(संबंधित उप वन संरक्षण द्वारा भरा जाना है)
प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

7.	परियोजना/स्कीम का स्थान		
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	-	छत्तीसगढ़ राज्य
(ii)	जिला	-	रायगढ़
(iii)	वन प्रभाग	-	धरमजयगढ़ वनमण्डल
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	-	6.823 हेक्टेयर
(v)	वन की कानूनी स्थिति	-	ग्राम-हाटी (धरमजयगढ़) वन कक्ष क्रमांक PF-551 कुल रकबा 6.823 हे० वन भूमि वन भूमि में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी सिविल संभाग रायगढ़, जिला-रायगढ़ द्वारा 220/132/33 के०व्ही० उपकेन्द्र धरमजयगढ़ निर्माण हेतु प्रस्तावित
(vi)	हरियाली का घनत्व	-	0.4
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ. आर.एल.- 04 मीटर भी संलग्न की जाए।	-	वृक्ष संख्या प्रजातिवार गणना पत्रक संलग्न है।
(viii)	भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पटी	-	-
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन की सीमा से अनुमानित दूरी	-	वन क्षेत्र से लगा हुआ है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर आदि का भाग है (यदि हाँ क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाएं)	-	नहीं।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दूलर्भ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि	-	नहीं।

	रिपोर्ट विशेषता उपर्युक्त कॉलम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)		कारण वन संरक्षण की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट आवश्यक नहीं है।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल		
	(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	—	6527.44 वर्ग किलो मीटर
	(ii) जिले का वन क्षेत्र	—	अभिसूचित 1713.419 वर्ग किलो मीटर
	(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	—	08 प्रकरण रकबा 419.433 हे०
	(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	—	
	(क) वनभूमि पर (दण्ड के रूप में)	—	50.00
	(ख) वनोत्तर भूमि पर	—	0.00
	(v) प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति		
	(क) वनभूमि	—	1917.627 हे०
	(ख) वनोत्तर भूमि पर		0.00
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षण की विशेष सिफारिश	—	ग्राम-हाटी (धरमजयगढ़) वन कक्ष क्रमांक PF-551 कुल रकबा 6.823 हे० वन भूमि वन भूमि में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी सिविल संभाग रायगढ़, जिला-रायगढ़ द्वारा 220/132/33 के०व्ही० उपकेन्द्र निर्माण हेतु आवश्यक है। अतः भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु अनुशंसा एतद् द्वारा की जाती है।


 (अभिषेक जोगावत)
 (भा.व.से)

वनमण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमण्डल धरमजयगढ़

19/10/2022